न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 वाद सं0–30/2016–17

राज्य **बनाम** टुनटुन यादव एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12-10-18	**आदेश** प्रस्तुत वाद अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति, पटना के पत्र सं0 1912/आ0 दिनांक 29.10.2016 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी का पत्रांक 476/आ0 दिनांक 22.10.2016 द्वारा धनरूआ थाना काण्ड सं0 182/16 में दर्ज प्राथमिकी के आलोक में समर्पित अधिहरण प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया। उक्त पत्र के आलोक में प्रश्नगत वाद में दिनांक 18.11.2017 को पारित आदेश द्वारा आरोपी (विपक्षी) को नोटिस निर्गत करते हुए, आदेश दिया गया कि धनरूआ थाना काण्ड सं0 182/16 में जप्त 35 (पैंतीस) वैग खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री के पक्ष में यदि कोई साक्ष्य हो तो निर्धारित तिथि को स्वंय अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम् से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–6ए में प्रदत्त शक्ति के आलोक में अनुदानित खाद्यान्न के अवैध भण्डारण के आरोप में जप्त खाद्यान्न को राजसात (Confiscate) कर लिया जायेगा। जप्त अवैध रूप से SFC मार्का खाद्यान्न को विनिष्टता से बचाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी को बाजार दर पर बिक्री कराकर बिक्री से प्राप्त राशि को कोषागार चालान के माध्यम से सरकारी खजाना में जमा कराने का आदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के पत्र सं0 284/आ0 दिनांक–17.05.2017 द्वारा बिक्री से प्राप्त राशि को कोषागार में जमा कर चालान की छाया–प्रति उपलब्ध करायी गयी है। सुनवाई में दिनांक 03.02.2017 से 16.03.2018 तक लगातार 06(छः) तिथियों पर भी विपक्षी (आरोपी) अनुपस्थित रहे। अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के पत्रांक–183/विधि दिनांक–03.04.2018 द्वारा नोटिस तामिला प्राप्त। दिनांक–22.05.2018 को HMT ट्रैक्टर सं0–BR24G-6340 वाहन मालिक द्वारा वकालतनामा के साथ हाजरी दिया गया। दिनांक–02.08.2018 से 12.10.2018 तक लगातार दो तिथियों पर भी विपक्षी (आरोपी) अनुपस्थित रहे एवं उनके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा	

धनरूआ थाना काण्ड सं0 182/16 में जप्त खाद्यान्न एवं वाहन के सम्बन्ध में कोई दावा अथवा मालिकाना अधिकार प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जप्त SFC मार्का खाद्यान्न का परिवहन कालाबाजारी की नीयत को दर्शाता है। जिसका कोई मालिक नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के दिनांक–18.11.2017 के द्वारा पारित आदेश के द्वारा जब्त खाद्यान्न को बिक्री कर प्राप्त पूर्ण राशि को कोषागार चालान के द्वारा सरकारी खजाना में चालान से जमा करने का आदेश दिया गया था। जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के पत्रांक–284/आ0 दिनांक–17.05.2017 से बिक्री की पूर्ण राशि 22943/– (बाईस हजार नौ सौ तेतालीस) रूपये मात्र दिनांक–25.04.2017 के माध्यम से कोषागार में जमा करने की सूचना दी गयी है।

ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त किसी की दावेदारी या मालिकाना अधिकार प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में जप्त समाग्रियों एवं HMT ट्रैक्टर सं0–BR24G-6340 को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–6ए में प्रदत्त शक्ति के आलोक में राजसात (Confiscate) की जाती है।

अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी को आदेश दिया जाता है कि जप्त प्रश्नगत HMT ट्रैक्टर सं0–BR24G-6340 का अद्यतन मूल्यांकन जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना से करा लें। तदोपरान्त जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के उपस्थिति में उक्त ट्रैक्टर का उच्चत्म दाम पर नीलामी करा दें। निलामी से प्राप्त राशि को कोषागार चालान के द्वारा सरकारी खजाना में चालान से जमा कर दें। चालान की मूल प्रति अपने कार्यालय में संधारित रखें। चालान की छाया प्रति अभिप्रमाणित कर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में भेज दें। इस आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

कालान्तर में व्यवहार न्यायालय से प्राप्त आदेश के फलाफल का अनुपालन किया जायेगा।

लेखापित एवं संशोधित।

12/10/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

12/10/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।